राजीविका मानदेय प्राप्त कैडर को व्यक्तिगत और कार्यालयाधीन उपयोग के लिए दुपहिया वाहन के वित्तपोषण के लिए "समर्थ सखी ऋण योजना" :–

क्र.सं.	योजना का नाम	समर्थ सखी ऋण योजना (दुपहिया वाहन हेतु)
1.	लक्ष्य समूह	राजीविका कैडर जो स्वयं सहायता समूहों के मानदेय प्राप्त सदस्य है, उक्त योजना के अन्तर्गत राजस्थान महिला निधि से ऋण प्राप्ति हेतु पात्र होंगे।
2.	उद्देश्य	नए इंजन चालित दोपहिया वाहन (स्कूटी, स्कूटर गीयर, स्वचालित इलेक्ट्रिक बाइक सहित) की खरीद के लिए ऋण प्रदान करना। योजना में पुराने दुपहिया वाहन की खरीद अनुमत नहीं है।
3.	पात्रता	(i) राजीविका कैडर जिनका न्यूनतम सकल मासिक वेतन रू. 6000/– या अधिक है। (ii) राजीविका कैडर में न्यूनतम 3 वर्ष की लगातार सेवा (iii) प्रार्थी के नाम से ड्राईविंग लाइसेंस
4.	आयु	अधिकतम आयु 55 वर्ष आवेदन के समय
5.	ब्याज दर	वर्तमान में राज्य सरकार से 10.5 प्रतिशत का अनुदान देय होने के फलस्वरूप तथा नियमित किश्त का भुगतान करने पर वास्तविक ब्याज दर शून्य रहेगी।
6.	ऋण राशि	अधिकतम रू. 1,00,000/–
7.	मार्जिन	कुल लागत का 10 प्रतिशत
8.	चुकौती अवधि	ईएमआई के माध्यम से 36 माह में मानदेय प्राप्त कैडर द्वारा मासिक किश्त के रूप में भुगतान।
9.	दस्तावेज	• स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रस्ताव। • स्वयं सहायता समूह की सामूहिक गारंटी। • CLF द्वारा अनुशंसा एवं अधिकार पत्र यदि वसूली नहीं आती है तो राजीविका स्टाफ द्वारा सहयोग किया जाऐगा तथा मानदेय से वसूली भी की जा सकेगी। • वाहन का दृष्टिबंधक आर.टी.ओ द्वारा जारी वाहन पंजीकरण प्रमाण–पत्र में फाईनेंसर के रूप में राजस्थान महिला निधि का नाम अंकित होना अनिवार्य होगा। • ड्राईविंग लाइसेंस की सत्यापित प्रति। • वाहन का बीमा महिला द्वारा स्वयं करवाना होगा। जिसकी एक प्रति संबंधित सहायक प्रबंधक, राजस्थान महिला निधि को प्रस्तुत करनी होगी।
10.	प्रोसेसिंग शुल्क	कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है।
इस संबंध में कोई भी विवाद जयपुर क्षेत्राधिकार के अधीन है।		

Rajasthan Mahila Nidhi Credit Cooperative Federation Limited JAIPUR

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान महिला निधि